



ट्रांसर्व लिमिटेड

(सी आई एन : U93090MH2010PLC211328)

पीपीआई वॉलेट की वैधता, समाप्ति और जब्ती

i) पीपीआई की वैधता और समाप्ति:

पीपीआई की समाप्ति:

धनी पे पीपीआई की न्यूनतम वैधता तीन वर्ष की होती है और यह निष्क्रिय होने तक वैध बनी रहती है। न्यूनतम वैधता अवधि के बाद, वे पीपीआई जो निष्क्रिय रहते हैं, समाप्त हो जाते हैं।

निष्क्रिय पीपीआई:

एक वर्ष की लगातार अवधि के लिए कोई वित्तीय लेनदेन नहीं करने वाले धनी पे पीपीआई को निष्क्रिय कर दिया जाता है। आवश्यक परिश्रम प्रक्रिया के अनुपालन के बाद ग्राहक समाप्त हो चुके धनी पे पीपीआई को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। उचित परिश्रम प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, ग्राहकों को केवाईसी दस्तावेज जमा करने और यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य सत्यापन का समर्थन करने की आवश्यकता होती है।

निष्क्रिय पीपीआई से संबंधित विवरण आरबीआई को सूचित किए जाते हैं।

धनी पे कार्ड(कार्ड) ग्राहक के धनी पे वॉलेट (वॉलेट) से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में कार्ड समाप्त हो जाएगा:

1. कार्ड पर उल्लिखित वैधता की समाप्ति पर
2. वॉलेट की समाप्ति पर, कार्ड स्वतः समाप्त हो जाएगा।

ii) नोटिस और संचार

ग्राहकों को समाप्ति की तारीख से 45 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है। नोटिस या तो ईमेल या एसएमएस के माध्यम से या इन-ऐप अधिसूचना के रूप में भेजा जाता है। ग्राहकों को उनके पीपीआई के निष्क्रिय होने पर भी सूचित किया जाएगा।

iii) धनी पे पीपीआई की समाप्ति के प्रभाव:

- (i) पीपीआई अवरुद्ध हो जाएगा जिसका अर्थ है कि ग्राहक कोई लेनदेन नहीं कर पाएगा। ऐसे पीपीआई को "समाप्त" के रूप में चिह्नित किया जाएगा और पीपीआई में शेष राशि एस्करो खाते में रखी जाएगी।
- (ii) ग्राहक पीपीआई में शेष राशि की वापसी का दावा करने के लिए पीपीआई की समाप्ति से किसी भी समय वापस आने का विकल्प चुन सकते हैं।
- (iii) 3 (तीन) वर्षों के लिए दावा नहीं करने वाले ग्राहकों की शेष राशि को कंपनी के पी एंड एल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- (iv) पीपीआई के धारकों को पीपीआई में बकाया राशि को भुनाने की अनुमति दी जाएगी, यदि किसी कारण से योजना समाप्त हो रही है या आरबीआई द्वारा बंद करने का निर्देश दिया गया है।